–::निर्णय::–

दिनांकः– 29/12/2022

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम बेरड़ों का बास, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 383 गै.मु. ढाणी, रकबा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 384 रकबा 84 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी कब्जा काश्त में आई हुई है। उपर वर्णित खसरों के उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 282 आया हुआ है। जो अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि आई हुई है। जिसमें खसरा संख्या 382 के उत्तर दिशा में कटाणी रास्ता गुजरता है। जिसमें प्रार्थीगण खसरा संख्या 382 में से पीढियों खसरा संख्या 383 व 384 में बनी ढाणियों में आना–जाना होता है तथा खसरा संख्या 382 में से ही केवल मार्ग गुजरता है तथा प्रार्थीगण के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है केवल एक ही रास्ता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु कटाणी रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने के लिये दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिये कहा किन्तु रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ, इसलिये प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता कटाणी से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 15 फुट चौड़ा प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थीगण विधिनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिये तैयार है। अप्रार्थीगण की भूमि असिंचित है जिसकी गिरदावरी साथ पेश है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण व पुत्रों के स्वयं की रहवासीय ढाणियां बनी हुई है जिसमें परिवार सहित प्रार्थीगण निवास करते है। कटाणी रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि में ट्युबवैल पर आने–जाने, अनाज व चारा आदि झालें व खाद बीज व टैक्टर व जीप, पानी का टैंकर, बच्चों के स्कूल आने–जाने के लिये 15 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। बच्चों के स्कूल जाने–आने के लिये रास्ते की आवश्यकता है जिससे की ट्रेक्टर, जीप व चारे की झालें आसानी से आ–जा सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के अत्यधिक

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

आवश्यकता है। प्रार्थीगण को आज भी अपनी रहवासीय ढाणी एवं भूमि में आने–जाने हेतु भयंकर समस्या है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में भी निवेदन किया किं कटाणी रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 383 गै.मु. ढाणी रकबा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 384 रकबा 84 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी कब्जा काश्त एवं रहवासीय ढाणी में आने–जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 382 में से नजरी नक्शा में दर्शाए गए लाल रंग के मार्क ए से बी 15 फिट चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी वकालात नामा पेश किया गया।

यह है कि हल्का पटवारी बेरड़ों का बास व भू–अभिलेख निरीक्षक चेराई तहसील ओसियां से मौका रिपोर्ट तलब की गई। हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि खसरा संख्या 382 में मार्क ए से बी लाल स्याही से अंकित कर दूरी तय की जिसमें 56 गठा रास्ता X 15 फीट = 07 बिस्वा जमीन बनती है जो सबसे निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। डी.एल.सी. दर से प्रार्थीगण पैसे जमा करवाने के इच्छुक है।

यह है कि वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया है अर्थात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अखण्डनीय है। जिसको नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है। इसलिए मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner